कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती सुरक्षा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नायला, जमवारामगढ जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फोलाई जिला बूंदी किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमति सुरक्षा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 3657/2019 श्रीमती सुरक्षा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3657/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती सुरक्षा की अपील को बलहीन और सारहीन होने के आधार पर ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही खारिज करते हुए अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। श्रीमती सुरक्षा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21156/2019 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती सुरक्षा के सम्बन्ध में जयपुर या आस–पास उपलब्ध प्रधानाचार्य पद की रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर उनके अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पति के मानसिक रोग से पीडित होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना समायोजन/पदस्थापन जयपुर या टोंक जिले में राउमावि जोधपुरिया/पहाडी जिला टोंक अथवा दौसा जिले में राबाउमावि सिकन्दरा, सिकराय, जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को ही स्थानान्तरण के आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे।

अपीलार्थी द्वारा अपने पति के मानसिक रोग के आधार पर अनुतोष प्रदान किये जाने की मांग की गई है जो कि जो उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 16.10.2014 से एक ही स्थान–राबाउमावि नायला, जमवारामगढ जिला जयपुर में कार्यरत थीं। इस प्रकार उन्हें विभागीय प्राथमिकता और प्रशासनिक आवश्यकता में पांच वर्ष बाद स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी एक ही स्थान पर बने रहना चाहती हैं जो किसी भी राज्य सेवा के कार्मिक के लिए उचित नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती सुरक्षा, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में दिनांक 31/12/19 तक अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि

फोलाई जिला बूंदी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुरक्षा/अपील/3657/2019 दिनांकः 30/1/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/कोटा संभाग, जयपुर/कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमति सुरक्षा के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सी.सी.ए–17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)